

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश मन्चनड।**

संख्या:- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2022/11127

मन्चनड: दिनांक: 23-12-2022

:-कार्यालय द्वारा:-

सचिवा संख्या (मिषिन) 888/2022 एवं 847/2022 में मा० उजुनम न्यायानय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-10-2022 के अनुपालन में फार्मोमी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक मंत्र 2022-23 हेतु दिप्लोमा इन फार्मोमी पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० मन्चनड में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23-12-2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक मंगल हुई। बैठक में समिति द्वारा मंत्र 2022-23 हेतु पी०सी०आई० द्वारा नई दिप्लोमा इन फार्मोमी सम्थाओं को प्रदान अनुमोदन के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० मन्चनड द्वारा मंत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-


संस्था का कोड एवं नाम:- 1342, आर०एस० कालेज आफ फार्मोसी प्रधानगर मैनुपुरा रोड शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा मंत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा मंत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	दिप्लोमा इन फार्मोमी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें-

- ✓ संस्था पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवार्मी 1992, विनियमावार्मी-2000, मेमेन्टर विनियमावार्मी-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अनिर्दिष्ट छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीम निर्धारण समिति द्वारा यदि मंत्र 2022-23 हेतु फीम का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीम की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संबुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संबुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक है।
- ✓ यदि संस्थानों का पी०सी०आई० में अनुमोदन निरस्त किया जाता है, तो इन संबंध में सम्बन्धित सम्बन्धित संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संबुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायानय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संबुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश मन्चनड द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग शरारत होने के पूर्व पी०सी०आई० में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अक्षर पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

Khan


- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू0राइज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, ग्राफ, माज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैसिंग रोफने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिपद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त पर प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य माज-सज्जा पी0भी0आई0/परिपद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


 (एफ0आर0 सचिव)
 सचिव।

पू0सं0- प्राप्तिप/परिपद सम्बद्धता/2022/11128-11211

तारिख: 23-12-2022

प्रतिनिधि:- प्रधानाचार्य/निदेशक, आर0एम0 कालेज आफ फार्मेसी प्रधानगर मैनपुरा रोड शिकोहाबाद, किरोजाबाद


 (एफ0आर0 सचिव)
 सचिव।

BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, UTTAR PRADESH

EXTENSION OF AFFILIATION FOR EXISTING INSTITUTIONS, SESSION 2023-2024

INSTITUTE INFORMATION

Status: **Approved**

Institute's Information

Institute Code*

Name of Institution*

1342

R.S. COLLEGE OF PHARMACY

Type*

Group*

Zone*

Establishment Year*

pvt

coed

Central

2023

Principal Name*

Mobile*

ANANT SHRI TIWARI

9927277632

Institute Type*

Pharmacy

PCI Permanent ID*

PDF File (PCI EOA 2023-24)*

Upload PDF File (PCI EOA 2023-24)

PCI-5061

[View](#)

[Choose File](#) No file chosen

Course Details With Intake

Sr.	Name of Course	Sanction Intake (2023-2024)	Sanction Intake (2022-2023)	Remarks	Action
1	DIPLOMA IN PHARMACY-214	60	60	No change	Edit Intake

[Update](#)